

न्यायालय:दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील-  
बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.कमांक-300033 / 2016

संस्थित दिनांक-12.07.2016

1-श्रीमती वंदना नाहर आयु 34 वर्ष पति गुरुनाम सिंह नाहर

2-गौरव नाहर आयु 13 वर्ष, पिता गुरुनाम सिंह नाहर

ना.बा.वली माँ वंदना नाहर पति गुरुनाम सिंह नाहर

3-गुरुदेव नाहर आयु 11 वर्ष पिता गुरुनाम सिंह नाहर

ना.बा.वली माँ वंदना नाहर पति गुरुनाम सिंह नाहर

तीनों जाति वाल्मीकी साकिन हा.मु. क्वा.न.बी-3 / 139 पो.+थाना

मलाजखण्ड तह. बिरसा जिला बालाघाट म.प्र. - - - - - आवेदकगण

// विरुद्ध //

गुरुनाम सिंह नाहर आयु 40 वर्ष, पिता नरसिंह नाहर जाति वाल्मीकी

निवासी-सिविल लाईन C/O ईश्वरदास बोहरे,

जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) - - - - -

अनावेदक

// आदेश //

(आज दिनांक-21 / 07 / 2017 को पारित)

1- इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित-12.07.2016 का निराकरण किया जा रहा है।

2- आवेदिका का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका वंदना नाहर का अनावेदक गुरुनाम से दिनांक-04.05.2001 को जाति रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात आवेदिका, अनावेदक के साथ बतौर पत्नी सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने लगी थी। अनावेदक के संसर्ग से आवेदिका को 2 संताने क्रमशः गौरव एवं गुरुदेव उत्पन्न हुए थे। आवेदिका के प्रथम पुत्र गौरव का जन्म दिनांक-02.

03.2002 को आवेदिका के मायके ग्राम मलाजखण्ड में हुआ था, तब अनावेदक द्वारा आवेदिका से कहा जाता था कि वह पुत्र उसका नहीं है, किसी और का है। इसी बात को लेकर अनावेदक, आवेदिका को प्रताड़ित करता था। अनावेदक, आवेदिका पर शक करता था। आवेदिका अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, यह सोचकर मानसिक प्रताड़ना सहती रही कि एक दिन अनावेदक के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। अनावेदक दक्षिण पूर्व रेल्वे विभाग में स्थाई कर्मचारी है। अनावेदक ने अपने शक्की स्वभाव के कारण अपना स्थानांतरण नागपुर इतवारी से वारासिवनी करवा लिया था और आवेदिका को रेल्वे के क्वाटर में रखता था। उक्त क्वाटर के बाजू वाले क्वाटर में नए ट्रेनीज बैचलर लड़के आकर रहने लगे थे, तो भी अनावेदक ड्यूटी से घर वापस आने पर आवेदिका पर शक कर झगड़ा करता था और कहता था कि वह उन लड़कों से बात क्यों करती है। जबकि उक्त क्वाटर में आवेदिका के सास-ससुर भी रहते थे। आवेदिका तंग आकर अपने बच्चों के साथ दिनांक-30.04.2013 को अपने मायके मलाजखण्ड आ गई थी। अनावेदक ने आवेदिका को फोन करके कहा था कि अनावेदक उसे अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजकर तलाक देगा। अनावेदक द्वारा नोटिस भिजवाकर आवेदिका को वापस बुलाया गया था। इस कारण आवेदिका वारासिवनी कोर्ट में 2 पेशियों पर उपस्थित हुई थी तथा बच्चों का भविष्य खराब न हो सोचकर आवेदिका समझौता कर अनावेदक के साथ रहने लगी थी। उसके पश्चात् अनावेदक वारासिवनी का शासकीय क्वाटर छोड़कर गोंदिया आकर निवास करने लगा था। किन्तु अनावेदक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। अनावेदक आवेदिका पर शक कर कहता था कि वह वेश्या है। अनावेदक ने आवेदिका को घर से निकाल दिया है। आवेदिका ने थाना गोंदिया में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदिका स्वयं अपना भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है। अनावेदक एक साधन संपन्न व्यक्ति है। आवेदिका ने उसके आवेदन की प्रार्थना के अनुसार उसे एवं उसके दोनों पुत्रों को अनावेदक से भरण-पोषण की राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3- अनावेदक दिनांक-18.10.2016 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। इस कारण उसके विरुद्ध उक्त दिनांक को एकपक्षीय कार्यवाही हुई थी।

4— आवेदन के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं :-

1. क्या आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नि है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक ने आवेदिका के भरण पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है ?

#### विचारणीय बिन्दुओं का निष्कर्ष :-

5— समस्त विचारणीय बिन्दु एक-दूसरे संबंधित हैं, साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

6— आवेदिका वंदना नाहर आ.सा.01 ने अपने मौखिक कथन में आवेदन का समर्थन करते हुए अभिकथित किया है कि उसका विवाह 04 मई 2001 को गुरुनामसिंह नाहर से हुआ था। आवेदिका का ससुराल नागपुर में है। आवेदिका का पति रेलवे विभाग में कर्मचारी है। आवेदिका को उसके पति अनावेदक ने चार-छः माह तक अच्छे से रखा था। उसके बाद आवेदिका के बड़े पुत्र का जन्म मलाजखण्ड में हुआ था। अनावेदक को यह शक था कि वह उसका पुत्र नहीं है। इस कारण अनावेदक आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। आवेदिका की इस साक्ष्य का समर्थन आवेदिका के पिता रामप्रसाद(आ.सा.02), सालिकराम करोसिया (आ.सा.03) ने उनकी साक्ष्य में किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अनावेदक की ओर से आवेदिका एवं उसके साक्षीगण का न तो प्रतिपरीक्षण किया है ना ही इस तथ्य का खंडन किया है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नि नहीं है।

7— आवेदिका वंदना नाहर (आ.सा.01) का कहना है कि आवेदिका को अनावेदक अपने साथ नागपुर लेकर गया था परंतु उसके बाद भी परेशान करने लगा था। आवेदिका चुपचाप रही थी वह विवाद को बढ़ाना नहीं चाहती थी। आवेदिका ने अनावेदक के विरुद्ध में गोंदिया परिवार परामर्श केन्द्र में शिकायत की थी। शिकायत के पश्चात वहां पर आवेदिका एवं अनावेदक का कोई समझौता नहीं हुआ था। बैठक का

दस्तावेज प्र.पी.01 है। अनावेदक ने आवेदिका के मायके से दिये गये जेवरों को बेच दिया था। अनावेदक हमेशा आवेदिका के पिता से पैसे मांगते रहता था। आवेदिका उसके पुत्र को लेकर वारासिवनी से वर्ष 2013 में उसके मायके मलाजखण्ड में आ गयी थी। उसके बाद से अनावेदक ने आवेदिका की कोई खोज खबर नहीं ली है और न ही आवेदिका के कोई भरण-पोषण की व्यवस्था की है। आवेदिका कोई कार्य नहीं करती है। आवेदिका उसके भरण-पोषण के लिए उसके माता-पिता पर आश्रित है। अनावेदक ने आवेदिका को शक के कारण त्याग रखा है। आवेदिका के कथनों का समर्थन रामप्रसाद करोसिया आ.सा.02 ने भी उसकी साक्ष्य में किया है यह साक्षी आवेदिका का पिता है। इस साक्षी का यह कहना है कि आवेदिका के बड़े पुत्र का जन्म मायके में हुआ था। अनावेदक आवेदिका के साथ मारपीट करता था। इसके बारे में साक्षी को उसकी पुत्री ने बताया था। आवेदिका के दो पुत्र हैं जो कक्षा नौ और सात में पढ़ते हैं। सालिकराम करोसिया (आ.सा.03) ने आवेदिका की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि अनावेदक आवेदिका से लड़ाई-झगड़ा करता रहता था एवं आवेदिका के साथ मारपीट करता रहता था। इस कारण आवेदिका उसके मायके में आकर रह रही है। उक्त तीनों साक्षीगण पर उक्त संबंध में अनावेदक की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अखण्डनीय हो जाती है। उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः यह प्रमाणित होता है कि अनावेदक ने आवेदिका को प्रताड़ित किया है और आवेदिका को उसके पिता के घर पर छोड़ दिया है तथा उसके भरण-पोषण में उपेक्षा की है।

8— आवेदिका वंदना नाहर (आ.सा.01) के मौखिक कथन में यह भी कहना है कि उसका पति रेलवे विभाग में कर्मचारी है जिससे बीस-तीस हजार रुपये वेतन प्राप्त होती है। रामप्रसाद करोसिया (आ.सा.02) का कथन है कि अनावेदक को प्रतिमाह तीस चालीस हजार रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होती है। इस संबंध में आवेदिका साक्षी सालिकराम (आ.सा.03) का कहना है कि अनावेदक रेलवे विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थ है। जिससे उसे पच्चीस हजार रुपये मानदेय प्राप्त होता है। वंदना नाहर (आ.सा.01), रामप्रसाद करोसिया (आ.सा.02), सालिकराम (आ.सा.03) की साक्ष्य में अनावेदक की आय के संबंध में विरोधाभास है। किंतु विरोधाभास के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदक को रेलवे विभाग में मासिक वेतन प्राप्त नहीं होता।

आवेदिका ने अनावेदक की आय के संबंध में अनावेदक के मासिक वेतन की आवेदिका के स्व हस्ताक्षर की प्रति प्रस्तुत की है। आवेदिका एवं उसके साक्षीगण की साक्ष्य में यह स्पष्ट है कि अनावेदक रेलवे विभाग में कार्य करता है।

9— आवेदिका एवं उसके साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नि है। अनावेदक ने आवेदिका एवं उसके पुत्रों के भरण-पोषण में उपेक्षा की है और भरण-पोषण से इंकार किया है। आवेदिका अपना एवं अपने पुत्रों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। पत्नि के भरण-पोषण का दायित्व पति पर होता है तथा नाबालिग पुत्रों के भरण-पोषण का दायित्व भी पिता पर होता है। किंतु अनावेदक ने आवेदिका एवं उसके पुत्रों का भरण-पोषण करने में उपेक्षा की है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। पक्षकारों के रहन-सहन, वर्तमान समय की महंगाई आदि को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है कि अनावेदक, आवेदिका को 1,200/—(एक हजार दौ सौ रुपये) प्रतिमाह एवं उसके पुत्रों गौहर नाहर को 900/—(नौ सौ रुपये) प्रतिमाह एवं गुरुदेव नाहर को 900/—(नौ सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करेगा तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख 12 को निरंतर अदा करता रहेगा। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

10— अनावेदक, आवेदिका का व्यय वहन करेगा।

11— आवेदिका को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर मेरे निर्देश पर टंकित किया।  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(दिलीप सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, बालाघाट म0प्र0

(दिलीप सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, बालाघाट म0प्र0